

न्यायालय श्रीमान् सट्टस्य महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

34



सुखलाल तनय सम्पत्ति साहू निवासी ग्राम बिझौली तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1992

.....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- ज्ञानवती सिंह पत्नी श्री राजमणि सिंह
- 2- सुरेश सिंह तनय श्री विश्वनाथ सिंह
- 3- प्रवीण सिंह तनय श्री मुनिप्रताप सिंह
- 4- रतौआ पत्नी स्व. शोभनाथ कुम्हार
- 5- कैलाशनाथ प्रजापति पुत्र स्व. शोभानाथ कुम्हार
- 6- अशोक पुत्र स्व. शोभनाथ कुम्हार
- 7- ऋषिनाथ पुत्र स्व. शोभनाथ कुम्हार
- 8- सिद्धनाथ तनय ~~शुभनाथ कुम्हार~~

मंगलेश्वर सिंह प्र.
23/3/18
दिनांक 23-3-18

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

सभी निवासी ग्राम बिझौली तह. हनुमना जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदक/उत्तरदातागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा म.प्र. के प्र.क. 15/निगरानी/अ-3/2013-14 रतौआ वगै. विरुद्ध ज्ञानवती सिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.02.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई

मंगलेश्वर सिंह प्र.
23/3/18

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगरानीकर्तागण कि पति व पिता श्री शोभनाथ कुम्हार, प्रवीण सिंह व सुखलाल साहू द्वारा न्यायालय तहसीलदार तह. हनुमना जिला रीवा के समक्ष भूमि आ.नं. 474 स्थित ग्राम बिझौली तह. हनुमना जिला रीवा में स्थित है, जिसके कई भूमिस्वामी हैं अलग-अलग बटांकन नम्बर है, किन्तु वास्तविक कब्जा व चौहद्दी के मुताबिक बिना किसी सक्षम अधिकारी का आदेश के बगैर संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 23.02.2006 को गलत व अवैध तरीके से अना.क. 2 की भूमि आ.नं. 474/6 ख, 474

.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 11/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1992

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/4/18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मंगलेश्वर सिंह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21-2-18 के विरुद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । निगरानी में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण नक्शा तरमीम से संबंधित है जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में आदेश पारित किया गया है नये संशोधन के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं होने से उनके द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28-7-2017 अपील योग्य आदेश है इस कारण आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवेदन दिनांक 20-4-2006 के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें। आवेदक सूचित हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p>	<p> सदस्य</p>